

Registered Office:

DSC 260 South Court, DLF Saket, New Delhi-110017

Email : adhbhut.ind@rediffmail.com | Website : www.adhbhutinfra.in

Tel.: +91-7048959386 | CIN: L51503DL1985PLC020195

Ref.No.: AIL/BSE/46/2023-24

Date: 08.02.2024

To

The Manager

Listing Department

BSE Limited,

Phiroze Jee Jee Bhoy Towers,

Dalal Street, Mumbai - 400001

Security Code No.: 539189

Subject: Newspaper clippings of the published financial for the quarter and nine months ended on December 31, 2023

Dear Sir/ Ma'am

With reference to the captioned subject, we enclose herewith the newspaper clippings of the Un-audited financial results pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, for the quarter and nine months ended on December 31, 2023, as published in following newspapers:

1. Financial Express (English Language) dated 08th February, 2024.
2. Jansatta (Hindi Language) dated 08th February, 2024

Copies of the Newspapers clippings are also available on the website of the Company i.e. <https://adhbhutinfra.in/> and on the website of the BSE i.e. www.bseindia.com.

Please take the same on your records.

Thanking you.

For ADHBHUT INFRASTRUCTURE LIMITED

Anubhav Dham

Managing Director

DIN: 02656812

Encl.: A/a

अदभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

CIN: L51503DL1985PLC020195

पंजीकृत कार्यालय: डीएससी 260 साऊथ कोर्ट, डीएलएफ साकेत, नई दिल्ली 110017

ईमेल: adbhut.ind@rediffmail.com वेबसाइट: www.adbhutinfra.in | दूरभाष: +91-7048959386

31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के अनअंकेषित समेकित वित्तीय परिणामों के कथन का सार

(रु० लाखों में)

समेकित

Table with 5 columns: क्र. सं., विवरण, 31.12.23 (अनअंकेषित), 30.09.23 (अनअंकेषित), 31.12.22 (अनअंकेषित), 31.12.21 (अनअंकेषित), 31.03.2023 (अंकेषित)

* समाप्त तिमाही दिसम्बर 23, दिसम्बर 22, एवं सितम्बर 23, एवं समाप्त तिमाही दिसम्बर 23, एवं दिसम्बर 22 का डीपीएस सालाना नहीं है।

वित्तीय परिणामों पर टिप्पणी:

- 1 उपरोक्त अनअंकेषित वित्तीय परिणामों का लेखा समिति द्वारा 07 फरवरी, 2024 समीक्षा और सिफारिस की गई और बाद में निर्देशक मंडल की 07 फरवरी, 2024 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित किये गये।
2 सेबी (सूचीबद्धता दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अन्तर्गत कम्पनी के 31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के समेकित वित्तीय परिणामों का वैधानिक परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा की गई। यहाँपर परीक्षण रिपोर्ट कोई संशोधन नहीं है।
3 कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अन्तर्गत निर्धारित साथ में पड़ित उसके अन्तर बनाये गये प्रासंगिक नियमों एवं सेबी (सूचीबद्धता दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 (स्था संशोधित) भारतीय लेखा मानकों (आईएनडीएस) के अनुसार वे वित्तीय परिणाम तैयार किये गये।
3 बुकि कम्पनी के पास केवल एक ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टिंग है, इसलिए एएस 108-ऑपरेटिंग सेगमेंट के तहत सेगमेंट लागू नहीं है।
4 बुकि कम्पनी के पास केवल एक ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टिंग है, इसलिए एएस 108-ऑपरेटिंग सेगमेंट के तहत सेगमेंट लागू नहीं है।
5 फिक्सी अवधि के आकड़ों को वर्तमान अवधि के आडों के साथ तुलनीय बनाने के लिए पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।
6 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष को असाधारण मदों में पंजीकृत मूल्यांकन द्वारा 25 जुलाई, 2022 की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर रु० 1,256.40 लाख की बिल्डिंग के सम्बन्ध में हानि शामिल है।
7 31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के वित्तीय परिणाम कम्पनी की वेबसाइट https://adbhutinfra.in एवं डीएससी की वेबसाइट i.e. www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

कृते अदभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हस्ता/— अनुभव धाम अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक DIN:02656812

तिथि: 07.02.2024 स्थान: नई दिल्ली

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्वतः कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना)

सीआइएन: एफ66110टीएच2014पीएलसी097792

पंजीकृत कार्यालय: केआरएएम टावर, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, गेटपेट, चेन्नई-600031.

फोन: +91-44 4564 4000. फैक्स: +91 44 4564 4022



वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित

प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना

निम्नलिखित कर्जदारों और सह-कर्जदारों ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्वतः कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना) से निम्नलिखित प्रत्याभूत ऋण प्राप्त किए थे। निम्नलिखित कर्जदारों और सह-कर्जदारों के ऋण उनकी संबंधित सम्पत्तियों द्वारा प्रत्याभूत हैं। जहाँके वे संबंधित ऋण अनुबंधों के नियम एवं शर्तों को पूरा करने में असफल रहे हैं तथा अनियमित हो गए हैं, अतः उनके ऋण आवेगों के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। उनके द्वारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्वतः कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना) को देना शेष संबंधित सूचनाओं में बर्णित की गई है, अधिक विवरण नीचे तालिका में दिया गया है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी देय होगा, जो उनकी संबंधित तिथियों से अनुचित ढर पर प्रभावित किया जाएगा।

Table with 6 columns: क्र. सं., ऋण खाता सं., ऋण का प्रकार, कर्जदारों और सह-कर्जदारों का नाम, ऋण 13(2) के तहत सूचना की तिथि, धारा 13(2) के तहत सूचना के अनुसार बकाया राशि, सम्पत्ति पता

आपने कतर तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार बकाया राशि संबंधित तिथियों से अनुचित ढर पर ब्याज और अन्य लागतों, प्रमाणित ड्यूटी के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्वतः कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना) को इस प्रकार की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें अफसक रहने पर, आवश्यकताओं के तहत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्वतः कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना) को बकाया राशि की वसूली के लिए अपने बर्तमान बर्तमान के संबंध में संरक्षक अधिकारियों को धारा 13(4) और धारा 14 के तहत कार्यवाही करने हेतु बन्ध होगा। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 13(1) के तहत, आगे उक्त प्रत्याभूत सम्पत्ति का हस्तांतरण किसी /पट्टे अथवा किसी अन्य तरीके से नहीं कर सकते हैं।

हस्ता/— प्राधिकृत अधिकारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्वतः कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना)

आरएसीएल गियरटेक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 15वीं मंजिल, इटोल कॉरपोरेट टॉवर, गेहड़ फ्लेम, नई दिल्ली - 110019 (भारत)
दूरभाष नं.: 011-66155129 | फैक्स नं.: 0120-4588513
ईमेल: Investor@racgeartech.com | वेबसाइट: www.racgeartech.com
CIN: L34300DL1983PLC016136
31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडअलोन और कंसोलिडेड अनअंकेषित वित्तीय परिणामों का उद्घरण

नियंत्रक मंडल के लिये तथा उनकी ओर से आरएसीएल गियरटेक लिमिटेड गुरदाहरण सिंह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Table with 4 columns: विवरण, कंसोलिडेड, स्टैंडअलोन. Sub-headers for Standalone: वृत्त से आज तक आकड़ें, समाप्त तिमाही, वृत्त से आज तक आकड़ें, समाप्त तिमाही. Sub-headers for Consolidated: वृत्त से आज तक आकड़ें, समाप्त तिमाही, वृत्त से आज तक आकड़ें, समाप्त तिमाही.

केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, चंदवानी मार्केट, आर्य नगर, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट के ऊपर, जवालापुर, हरियाणा, पिन-249407

नोटिस बाबत कर्जों नियम 13(4) देखें (अचल सम्पत्ति के लिए)

सिक्वोरिटी डेजेशन एवं रिफून्डेशन ऑफ फाइनेशियल असेट्स एंड इन्फोर्सेमेंट ऑफ सिक्वोरिटी इंस्ट्रूमेंट एक्ट 2002 (2002 का एक्ट नं. 54) तथा सिक्वोरिटी इंस्ट्रूमेंट इन्फोर्सेमेंट नियम 2002 के नियम 3 के नियमानुसार साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 12 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी / गारंटर/स्वामी/ कानूनी उत्तराधिकारी को 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणी / गारंटर/ स्वामी / कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी / गारंटर/ स्वामी / कानूनी उत्तराधिकारी और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उक्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। "उधारकर्ता (औ) का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8 के उपबन्धों की ओर आकर्षित किया जाता है। ऋणी / गारंटर/ स्वामी / कानूनी उत्तराधिकारी को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें इस सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन-देन केनार बैंक सम्बन्धित शाखा को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज व चर्खों के पूर्ण मुआतन के उद्यत्त ही किया जा सकता है।

Table with 4 columns: क्र. सं., ऋणी का नाम/ जगहगी सात वारक/ पता, शाखा, बकाया राशि, चल/अचल सम्पत्ति का विवरण

TATA टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 11वीं मंजिल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतपुर कदम मार्ग, लोखर परेल, मुंबई-400013, सीआइएन नं.: U67190MH2008PLC187552
माण-नोटिस
प्रतिभूति हित (परवर्तन) विवरण, 2002 ("विवरण") के नियम 3 के तहत पड़ित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित परवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13 (2) के तहत।

RELIGARE ENTERPRISES LIMITED
CIN: L74899DL1984PLC146935
Regd. Office : 1407, 14th Floor, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi – 110019
Statement of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2023
(Rs. in Lakhs, unless otherwise stated)